न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 30/2022

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर । ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री राहुल यादव निवासी ब्यावर।
2. श्री जगदीश चौधरी, निवासी सरमालिया, ब्यावर
3. श्री अशोक सिंघव पुत्र श्री बाबु भाई सिंघव,
   निवासी 59, नागेश्वर सोसायटी, गलपदर, गांधीधाम, गुजरात
4. श्री देवसी कोली पुत्र श्री मोती कोली, कैलाशनगर, गलपदर, गांधीधाम,कच्छ गुजरात
   श्री अशोक चारण पुत्र श्री महेन्द्र सिंह चारण निवासी आंतरी, कुम्भलगढ, राजसमंद
5. श्री अक्षय कुमार चौधरी पुत्र श्री भैरू राम चौधरी, निवासी नया कुऑ, लीलो का बास शाहपुरा, जयपुर।
6. श्री गणेश सिंह रावत पुत्र गुलाम सिंह रावत धौलीदाती तहसील मसूदा(अजमेर)

............अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री नीरज जैन — प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 05

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 28.12.2022

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय हाजा रसद प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022 (सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022) राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर बनाम राहुल यादव व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 के विरूद्ध श्री अशोक सिंघव पुत्र श्री बाबू सिंह सिंघव निवासी गांधीधाम गुजरात (पंजीकृत स्वामी वाहन संख्या जीजे 12 बी एक्स 7471) सावन भाई पुत्र श्री रमेश भाई, निवासी मोरवी गुजरात जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी विक्रम सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति राजपूत निवासी जोराडियाली तहसील वेव, जिला बनासकांठा गुजरात (प्रोपराईटर मैसर्स आशापुरा पेट्रोलियम) एवं श्री रवि पुत्र श्री महेन्द्र भाई निवासी खापर रोड मोरवी गुजरात (वाहन स्वामी वाहन संख्या जीजे 36 टी 8096 पिकअप ब्राउजर) द्वारा न्यायालय सेशन न्यायाधीश अजमेर में प्रस्तुत अपील में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 अपीलार्थी संख्या 2 श्री सावन भाई व अपीलार्थी संख्या 3 श्री रवि के सबंध में दी गयी अवधारण व निष्कर्ष उनकी हद तक अपास्त किया जाकर मामला इस दिशा निर्देश के साथ सम्प्रेषित किया गया कि न्यायालय हाजा के समक्ष हस्तगत अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2022 अपीलार्थी संख्या 2 श्री सावन भाई व अपीलार्थी संख्या 3 श्री रवि अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे व अभ्यावेदन की समपुष्टि में दस्तावेजात व स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे व उसकी नकल प्रतिपक्षी पक्षकारान जिला रसद अधिकारी व अन्य को उपलब्ध कराएंगे व प्रतिपक्षी को भी उक्त प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदन का जवाब व खण्डन में दस्तावेज पेश करने की स्वंतत्रता होगी। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपीलार्थी संख्या 2 श्री सावन भाई व अपीलार्थी संख्या 3 श्री रवि द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण अभ्यावेदन प्रस्तुति

जिला कलक्टर
अजमेर

की दिनांक से 2 माह के भीतर विधिनुसार करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी रवि पुत्र श्री महेन्द्र भाई निवासी 21 बृत वादिका सोसायटी, जयराज पार्क के पास, खापर रोड मोरवी गुजरात ने अभ्यावेदन व शपथ पत्र एवं प्रार्थी सावन भाई पुत्र श्री रमेश भाई निवासी 304, हिरल पोईन्ट अपार्टमेंट, राधे हाईट, रवापर, मोरवी गुजरात मालिक जरिये मुख्तयानामा आम आशापुरा पेट्रोलियम 58, जोराडियाली बनासकाठा गुजरात (GST IN/UIN 24AGTPC2034M2ZC) अभ्यावेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर की ओर से श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि दिनांक 04.01.2022 को पुलिस निरीक्षक एटीएस अजमेर युनिट से सरमालिया चौराहे के पास, तेजा मार्केट के पीछे, ब्यावर में पेट्रोलियम उत्पादों का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किये जाने की सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा गठित जांच दल द्वारा मौके पर कार्यवाही की गई। मौके पर मौजूद श्री रोडमल पुलिस निरीक्षक एटीएस (आंतकवाद निरोधक दस्ता) के बताये अनुसार मौका मुआयना किये जाने पर मौके पर दो टैंकर कमशः GJ-12 BX 7471, RJ-14 GK 8619 खडे पाये गये। एक बिना नम्बर की बोलेरो पिक–अप ब्राउजर एवं एक ट्रेलर वाहन RJ-52 GA 3224 जिसमें बिना नम्बर के पिकअप ब्राउजर से पाइप द्वारा फ्यूल डाला जाना पाया गया। ब्राउजर पर लगी नोजल मशीन पर 331 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद 74 रूपये प्रति लीटर की दर से ट्रेलर के ईंधन टैंक में खाली होना प्रदर्शित पाया गया। टैंकर GJ-12 BX 7471 के ड्राइवर अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा वाहन मालिक अप्रार्थी संख्या 03 के निर्देश पर मौके पर आना तथा पास खडे वाहन टैंकर RJ-14 GK 8619 में दो कम्पार्टमेन्ट का ऑयल खाली करना, शेष जांच दल के आने से नहीं कर पाना अवगत करवाया। वरवक्त जांच वाहन टैंकर RJ-14 GK 8619 में नीचे पाइप वाल्व में नोजल मशीन एवं मापक यंत्र जुडा हुआ तथा बिना नम्बर की पिकअप ब्राउजर में ऑयल खाली करना पाया गया। मौके पर उपस्थित के समक्ष माप किये जाने पर वाहन टैंकर GJ-12 BX 7471 में 13000 लीटर ऑयल, टैंकर संख्या RJ-14 GK 8619 में 10000 लीटर, बिना नम्बर के बोलेरो पिकअप ब्राउजर में 1500 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद भरा पाया गया। तीनों वाहनों में कुल 24500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/बेस ऑयल पाया गया। मौके पर पाये गये वाहन, बेस ऑयल का भण्डारण, ऑयल मापक यंत्र, चार प्लास्टिक ड्रम, तीन इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, माप 5 लीटर एवं 1 लीटर, डीप रोड आदि सामग्री का पाया जाना भी सिद्ध करता है कि उक्त स्थल पर औद्योगिक उपयोग हेतु निर्धारित बेस ऑयल का उपयोग अनाधिकृत रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में करने का व्यवसाय किया जा रहा था। बिना सुरक्षा मानकों के बेस ऑयल का व्यापार/उपयोग सरकार को आर्थिक क्षति के साथ–साथ मानवीय जीवन एवं पर्यावरण के लिए भी अत्यन्त हानिकारक है। नियम विरूद्ध पेट्रोलियम/बेस ऑयल का भण्डारण एवं अवैध व्यवसाय पाये जाने पर मौके पर जांच दल द्वारा जब्ती की कार्यवाही की गई। जब्त सामग्री सदर थाना ब्यावर की सुपुर्दगी में दी जाकर इसी थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। पेट्रोलियम/बेस ऑयल का भण्डारण एवं अवैध कारोबार मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की स्पष्ट अवेहलना पाये जाने पर ही न्यायालय हाजा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री चार प्लास्टिक ड्रम, तीन इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, माप 5 लीटर एवं 1 लीटर, डीप रोड तथा वाहन टैंकर GJ-12 BX 7471 में

जिला कलक्टर
अजमेर

13000 लीटर ऑयल, टैंकर संख्या RJ-14 GK 8619 में 10000 लीटर, बिना नम्बर के बोलेरो पिकअप ब्राउजर में 1500 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद इस प्रकार तीनों वाहनों में पाया गया कुल 24500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/बेस ऑयल को राजसात किये जाने के आदेश न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.04.2022 को दिये गये थे। इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है। चूंकि वाहन टेंकर संख्या GJ-12 BX 7471 को मय 13000 लीटर बेस ऑयल के, वाहन RJ-14 GK 8619 को मय 10000 लीटर तथा बिना नम्बर की बालेरो पिक-अप ब्राउजर को मय 1500 लीटर ऑयल/पेट्रो उत्पाद, सहित जब्त किया गया है। उक्त वाहनों का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर-कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। अप्रार्थीगण के इन वाहनो को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने के निवेदन के तहत जब्त सुदा वाहनो को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकने का प्रावधान है। चूंकि वाहन टैंकर संख्या GJ-12 BX 7471 को मय 13000 लीटर बेस ऑयल के जब्त किया गया है। बेस ऑयल की कीमत जो मौके पर लगी नोजल मशीन पर पेट्रोलियम उत्पाद को 74/-रूपये प्रति लीटर की दर विक्रय किया जाना पाया गया है। लिहाजा उक्त 74/-रूपये प्रति लीटर की दर से उक्त वाहन (टेंकर) पर रूपये 9,62,000/-,वाहन RJ-14 GK 8619 को मय 10000 लीटर के जब्त किये जाने से रूपये 7,40,000/- तथा बिना नम्बर की बालेरो पिक-अप ब्राउजर को मय 1500 लीटर ऑयल/पेट्रो उत्पाद के जब्त किये जाने से रूपये 1,11,000/- तथा ट्रेलर वाहन RJ-52 GA 3224, वाहन RJ-30 GA 9548 लगेज टेम्पो, पिकअप वाहन RJ-51 GA 0298, को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार में लिप्त पाये जाने के कारण क्रमशः ट्रेलर वाहन RJ-52 GA 3224, पर रूपये 50,000/- अक्षरे पचास हजार, वाहन RJ-30 GA 9548, लगेज टेम्पो पर रूपये 20,000/- अक्षरे बीस हजार एवं पिकअप वाहन RJ-51 GA 0298 पर रूपये 30,000/-की शास्ति आरोपित की गई। जब्तशुदा सामग्री चार प्लास्टिक ड्रम, तीन इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, माप 5 लीटर एवं 1 लीटर, डीप रोड तथा जब्त वाहनों में उपलब्ध कुल 24,500 लीटर बेस ऑयल का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित आयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करने ओर निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये थे। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्तशुदा वाहन टेंकर संख्या GJ-12 BX 7471, वाहन RJ-14 GK 8619, बिना नम्बर की बोलेरो पिक-अप ब्राउजर, ट्रेलर वाहन RJ-52 GA 3224, वाहन RJ-30 GA 9548 लगेज टेम्पो, पिकअप वाहन RJ-51 GA 0298, की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द किये जाने के आदेश पारित किये गये थे। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 विधिक प्रावधानो के तहत बाद सुनवाई पारित किया गया है।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने अभ्यावेदन में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन संख्या जी. जे. 36 टी 8096 पिकअप ब्राउजर का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है एवं उक्त वाहन दिनांक 10.12.2021 से सावन पांचोटिया पुत्र रमेश भाई पांचोटिया निवासी मोरवी को संचालन हेतु स्थायी रूप से किराये पर दी गयी हुई थी जिसका किरायानामा दिनांक 10.12.2021 को निष्पादित किया गया था एवं दिनांक 10.12.2021 से उक्त वाहन सावन पांचोटिया के चालक आधिपत्य एवं कब्जे में थी वही उस वाहन का संचालन करता था। प्रार्थी का तथाकथित घटना से किसी प्रकार का कोई संबध नहीं है, ना ही प्रार्थी किसी

जिला कलक्टर,
अजमेर

प्रकार की आपराधिक घटना अथवा अनियमितता में शामिल रहा है जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा प्रार्थी से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की गयी। प्रार्थी का वाहन घटना के लम्बे समय पूर्व से ही किराये पर दिया हुआ था एवं किरायेदार के चालक द्वारा ही संचालन किया जा रहा था। जिसमें उक्त वाहन से सबंधित किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की थी इसलिए प्रार्थी का उक्त घटना से किसी प्रकार का कोई सबंध नहीं है। प्रार्थी वाहन संख्या जी.जे. 36 टी 8096 पिकअप ब्राउजर का पंजीकृत स्वामी है जिसके लम्बे समय तक जब्त रहने से एवं एक जगह खड़े रहने से उसके क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना है। साथ ही निवेदन किया गया कि गफलत एवं आनन–फानन में प्रार्थी का माल बेस ऑयल जब्त कर लिया गया। प्रार्थी आशापुरा पेट्रोलियम 58, जोराडियाली बनासकाठा गुजरात के मालिक विक्रम सिंह पुत्र रामसिंह का मुख्तयानामा आम है एवं उक्त फर्म से सबंधित तमाम अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। प्रार्थी का माल बेस ऑयल 26100 किलोग्राम जो कि प्रार्थी की फर्म के द्वारा गुजरात से लेकर मयूर पेट्रो केमिकल प्लाट नम्बर 71, अल्पना कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर पर दिया जाना था जिसके लिए प्रार्थी ने अशोक सिंह का टैंकर संख्या जी जे 12 एक्त 7471 को भाड़े पर लेकर उक्त माल जयपुर मयूर पेट्रो केमिकल्स पर खाली करने हेतु किराये पर लिया था । उक्त टैंकर संख्या जी जे 123 एक्त 7471 के चालक द्वारा किसी प्रकार की अविधिक गतिविधि यातायात के दौरान यदि की गयी तो उसके लिए प्रार्थी कतई जिम्मेदार नहीं है जिसके लिए उक्त सबंधित वाहन चालक के विरूद्ध सक्षम कानूनी कार्यवाही की गयी जो सबंधित न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके अंतिम निस्तारण में प्रकिया के अधीन लम्बा समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी आशापुरा पेट्रोलियम का बेस ऑयल भूमि पेट्रोलियम प्रा0लि0 दिल्ली से जी.एस.टी. टैक्स अदा करके खरीद किया था एवं जी.एस.टी. टैक्स अदा करके ही मयूर पेट्रो केमिकल्स जयपुर को दिया जाना था जिसने प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की अनियिमितता अथवा अविधिक गतिविधि अथवा टैक्स की चोरी अथवा दुरूपयोग अथवा अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया, ना ही टैंकर के चालक से किसी प्रकार का परिचय अथवा सम्पर्क प्रार्थी का रहा क्योंकि उक्त टैंकर अशोक सिंघव के नाम से ही श्री नागेवर बल्क केरियर का था एवं उन्हीं का चालक के पास उक्त वाहन टैंकर था। साथ ही निवेदन किया कि माल मेरा था और गाडी भी मेरी थी जिसे मैंने किराये पर दे रखी थी जिसको दी उसके वाहन चालक से गाडी पकड़ी, तो मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है और मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नही है शिकायत नही है, वाहन चालक के खिलाफ 3/7 का प्रकरण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में चल रहा है यह सम्पत्ति मेरी है ओर ये मुकदमा चलेगा तब तक नष्ट हो जाएगी । अतः प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन संख्या जी.जे. 36–टी–8096 एवं माल बेस आयॅल एवं प्रार्थी के सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

हमने अभ्यावेदन प्रस्तुतकर्त्ता की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी रवि पुत्र श्री महेन्द्र भाई निवासी 21 बृत वादिका सोसायटी, जयराज पार्क के पास, खापर रोड मोरवी गुजरात ने अभ्यावेदन व शपथ पत्र एवं प्रार्थी सावन भाई पुत्र श्री रमेश भाई निवासी 304, हिरल पोईन्ट अपार्टमेंट, राधे हाईट, रवापर, मोरवी गुजरात मालिक जरिये मुख्तयानामा आम आशापुरा पेट्रोलियम 58, जोराडियाली बनासकाठा गुजरात द्वारा अभ्यावेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत कर जब्तशुदा वाहन संख्या जी.जे. 36–टी–8096 पिकअप ब्राउजर एवं जब्तशुदा माल बेस आयॅल सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 06.04.2022 को किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस निरीक्षक श्री रोडमल एटीएस अजमेर युनिट से सरमालिया चौराहे के पास, तेजा मार्केट के पीछे, ब्यावर में पेट्रोलियम उत्पादों का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किये जाने की प्राप्त सूचना पर जिला

जिला कलक्टर
अजमेर

रसद अधिकारी अजमेर द्वारा गठित जांच दल द्वारा मौके पर बाद जाँच पाया कि प्रश्नगत परिसर में औद्योगिक उपयोग हेतु निर्धारित बेस ऑयल का उपयोग अनाधिकृत रूप से वाहनों में ईंधन के रूप में करने का व्यवसाय किया जा रहा था। पेट्रोलियम/बेस ऑयल का भण्डारण एवं अवैध कारोबार मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की स्पष्ट अवेहलना पाये जाने पर ही मौके से जब्तशुदा वाहन टैंकर संख्या GJ-12 BX 7471 मय 13000 लीटर बेस ऑयल, वाहन RJ-14 GK 8619 मय 10000 लीटर बिना नम्बर की बोलेरो पिकअप ब्राउजर मय 1500 लीटर ऑयल/पेट्रो उत्पाद, ट्रेलर वाहन RJ-52 GA 3224, वाहन RJ-30 GA 9548 लगेज टेम्पो, पिकअप वाहन RJ-51 GA 0298, चार प्लास्टिक ड्रम, तीन इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, माप 5 लीटर एवं 1 लीटर, डीप रोड की जब्ती की कार्यवाही, की गई है। इन तथ्यों के खण्डन में प्रार्थी सावन भाई पुत्र श्री रमेश भाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं है। लिहाजा प्रार्थी सावन भाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री चार प्लास्टिक ड्रम, तीन इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, माप 5 लीटर एवं 1 लीटर, डीप रोड तथा वाहन टैंकर GJ-12 BX 7471 में 13000 लीटर ऑयल, टैंकर संख्या RJ-14 GK 8619 में 10000 लीटर, बिना नम्बर के बोलेरो पिकअप ब्राउजर में 1500 लीटर पेट्रोलियम उत्पाद इस प्रकार तीनों वाहनों में पाया गया कुल 24500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/बेस ऑयल को राजसात किये जाने का न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 06.04.2022 पारित किया गया है। प्रार्थी रवि पुत्र महेन्द्र द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के तहत जब्तशुदा वाहन जी.जे. 36 टी 8096 पिकअप उन्हे सुपुर्द किये जाने का निवेदन किया गया है। इसके समर्थन में किरायानामा जो की पांसोटिया सावन भाई, रमेश भाई निवासी 304 हीरल पोईन्ट अपार्टमेंट राधे हाईट के पास में रावापर मोरवी गुजरात द्वारा रवि महेन्द्र भाई चिकलिया निवासी एट ब्लेक नम्बर 21 विराज वाटिका सोसायटी एन.आर. जयराज पर्क रावापर रोड मोरबी गुजरात के पक्ष में गाड़ी बोलेरो पिकअप एफ.बी. सी.बी.सी. पी.एस. 17 टी एक्स.एल. टैंकर मोडल 2020 रजिस्ट्रेशन नंम्बर जी.जे. 36 टी 8096 चैसिस नंबर एमएपजेडयू जेडटीएनकेएल6 एफ 88629 ईजन नम्बर टीएनएल 4 एफ 78898 को 30,000 रूपये महीने के हिसाब से किराये पर देना दिनांक 10.12.2020 को तय किया गया के अलावा रजिस्ट्रेशन व आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। इस वाहन में बेस ऑयल का अवैध परिवहन एवं वाहनो को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री करना भी सिद्ध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो के तहत की अवहेलना पाए जाने पर व उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में बिना नम्बर की बोलेरो पिक-अप ब्राउजर, बाबत जिला रसद अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वाहन के सबंध में सम्बन्धित थानाधिकारी से जांच रिपोर्ट मंगवाकर उक्त वाहन जी.जे. 36 टी 8096 पिकअप का यदि मालीकाना प्रार्थी रवि पुत्र महेन्द्र भाई के हक में सही पाया जाने तथा किसी अन्य प्रकरण में वाछित न होने की सूरत में आरोपित शास्ति रूपये 1,11,000/- (अक्षरे एक लाख ग्यारह हजार रूपये मात्र) जमा कराने पर नियमानुसार सम्बन्धित (प्रार्थी रवि पुत्र महेन्द्र) को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।